

30

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल गवालियर  
त्रै. क्र. १८५७०० निकारनी-३५६६/२०१४/नरसिंहपुर/क्र. २५

रामनारायण चौबे उम्र 80 वर्ष आ.स्व.श्री शिवप्रसाद चौबे  
धंधा—वकालत साकिन ग्राम ढेडवारा पो.आ. नरसिंहपुर

तह० वडूला नरसिंहपुर म.प्र

....पुनरीक्षणकर्ता

### बनाम

- १—श्रीमति सुमन शुक्ला उर्फ सुमन पांडे पत्नी गोविंद प्रसाद शुक्ला  
निवासी—जागृति नगर गोटेगांव पो०आ०—तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर म.प्र.
- २—श्रीमति पार्वतीबाई पत्नी देवीप्रसाद पांडे  
निवासी—ढेडवारा तह० व जिला नरसिंहपुर म.प्र.
- ३—भोजराज पांडे आ० देवी प्रसाद पांडे  
निवासी—ढेडवारा तह० व जिला नरसिंहपुर म.प्र.
- ४—देवी प्रसाद पांडे आ० रामरत्न पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र.
- ५—श्रीमति सुशीलाबाई पत्नी देवी प्रसाद पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र
- ६—विजय पांडे आ० देवी प्रसाद पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र
- ७—बालकृष्ण पांडे आ० देवीप्रसाद पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र
- ८—आशाबाई पांडे आ० देवीप्रसाद पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र
- ९—रुकमणिबाई आ० देवीप्रसाद पांडे  
निवासी—मनकवारा पो०—करारी तह०—पाटन जिला जबलपुर म.प्र
- १०—उपदेश परिहार आ० गजराज सिंह परिहार  
निवासी—दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.  
हाल मु०—ढेडवारा तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र.

.....उत्तरवादीगण

### आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.सं. १९५९

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर में चल रहे राजस्व अपील प्रकरण क्र.413/6 सन 16-17 में चल रही प्रक्रिया—कार्यवाही से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश करता है :-

### मामले का तथ्य

- १— यह कि उत्तरवादी क्र.01 श्रीमती सुमन शुक्ला द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में मौजा ढेडवारा नं.ब.233 तहसील जिला नरसिंहपुर के संशोधन क्र.62 आदेश दि.24.08.2014 के विरुद्ध एक अपील दि.08.04.2017 को पेश की है जिसमें मौजा ढेडवारा के ख.नं.48/140, 70/71 रकवा 0.010 हेठो याने 1000 वर्गफुट कृषि भूमि उत्तरवादी क्र.02 श्रीमती पार्वतीबाई ने उत्तरवादी क्र.10 उपदेश परिहार को बजरिये रजिस्टर शुदा बैनामा के बेची थी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

**न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, गवालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3566/2018/नरसिंहपुर/भूरा

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा तकों आदि के हस्ताक्षर
०३-७-१८	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सी० एम० गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-६/2016-17 में चल रही प्रक्रिया/कार्यवाही से क्षुब्ध होकर यह निगरानी म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2—आवेदक के अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण नहीं किया गया है। निराकरण का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3—आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिवस के अन्दर पहले आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।</p> 	